# विद्युत लोकपाल
## मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
## पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

**प्रकरण क्रमांक L00-11/15**

जनरल मैनेजर — आवेदक
सिक्युरिटी पेपर मिल
होशंगाबाद म.प्र.

विरूद्ध

महा प्रबंधक (ओ एण्ड एम) — अनावेदक
म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि.,
होशंगाबाद म.प्र.

## आदेश

**(दिनांक 17.03.2016 को पारित)**

01 जनरल मैनेजर, सिक्युरिटी पेपर मिल द्वारा विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल के शिकायत प्रकरण क्रमांक T./B./03 जनरल मैनेजर, सिक्युरिटी पेपर मिल विरूद्ध महाप्रबंधक (ओ एण्ड एम), म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि. होशंगाबाद में पारित आदेश दिनांक 29.09.2014 से असंतुष्ट होकर अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है।

02 लोकपाल कार्यालय में दर्ज प्रकरण क्रमांक एल00–11/15 में तर्क हेतु उभय पक्षों को दिनांक 23.11.2015 को सुनवाई के लिए बुलाया गया ।

03 आवेदक द्वारा अपने अभ्यावेदन में मुख्य रूप से निम्न बिन्दुओं पर निराकरण करने का अनुरोध किया है –

अ. आवेदक द्वारा विलंब से आवेदन देने हेतु विलंब को क्षमा करने का अनुरोध किया है।

ब. अनावेदक द्वारा उनसे की गई वसूली समय–सीमा के पश्चात की गई है जो विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56(2) के तहत वसूलने योग्य नहीं है।

स. अनावेदक द्वारा की गई बिलिंग त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है, जिसे वापस दिलाई जाए।

द. फोरम द्वारा दिये गये आदेश को अपास्त किया जाए।

04 उपरोक्त आवेदक पर प्रथम सुनवाई में अनावेदक द्वारा समय–सीमा का बिन्दु उठाया गया तथा इसके आधार पर अभ्यावेदन खारिज करने का अनुरोध किया गया। इस बिन्दु पर तर्क के

दौरान आवेदक द्वारा आवेदन विलंब से प्रस्तुत करने का कारण बताते हुए अपील प्रस्तुत की (ओई–1) एवं तर्क के दौरान उनके द्वारा बताया गया कि उनसे रूपये 84.84 लाख की वसूली अवैधानिक रूप से की गई जिसके निराकरण के लिए दिनांक 11.4.2014 को फोरम में आवेदन किया गया था, जिसमें उनके द्वारा सुनवाई के दौरान कहा गया कि आडिट बिल की गणना के संबंध में महाप्रबंधक, मप्रमक्षेविविकंलि, होशंगाबाद के समक्ष कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करें तथा अलग से फोरम के समक्ष आवेदन कियाजाना न्यायोचित होगा।

05 उपरोक्त आदेश के परिपालन में आवेदक द्वारा (ओई–2) एक आवेदन दिनांक 5.2.2015 तदोपरांत स्मरण पत्र दिनांक 12.3.2015, 15.4.2015 एवं 22.6.2015 महाप्रबंधक, मप्रमक्षेविविकंलि, होशंगाबाद के कार्यालय में प्रस्तुत किये गये, परन्तु उनके द्वारा इस संबंध में कोई भी जबाव नहीं दिया गया और न ही निराकरण किया गया।

06 उपरोक्त वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए आवेदक द्वारा फोरम में आवेदन दिनांक 27.7.2015 प्रस्तुत किया। फोरम द्वारा उनके आवेदन के संबंध में फोरम के पत्र क्रमांक 427 दिनांक 6.8.2015 से अवगत कराया गया कि चूंकि आवेदक द्वारा एक अन्य अपील विद्युत लोकपाल के समक्ष प्रस्तुत की है अतः आवेदन पर कोई भी कार्यवाही नहीं करते हुए आवेदन मूलतः वापस कर दिया गया।

07 इस संबंध में आवेदक को अनावेदक द्वारा जारी किये गये बिल के संबंध में मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा वर्ष 2010–11 के लिए जारी टैरिफ आदेश एवं विद्युत प्रदाय संहिता 2004 का अवलोकन करने से प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट होता है कि किसी स्तर पर निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप बिलिंग करने में चूक हुई है।

08 अतः टाईम लिमिटेशन एक्त 1963 की धारा 5 के अनुरूप आवेदक द्वारा आवेदन विलंब से प्रस्तुत करने हेतु बताये गये कारण (ओई–1) एवं फोरम तथा अनावेदक/अनुज्ञप्तिधारी (महा प्रबंधक, मप्रमक्षेविविकंलि) द्वारा उनकी शिकायत का निराकरण नहीं करने के कारण विद्युत लोकपाल यह मानता है कि नैसर्गिक न्याय की दृष्टि से आवेदक को अभ्यावेदन को प्रस्तुत करने की देरी को क्षमा किया जाना उचित होगा। अतः आवेदक के आवेदन को मान्य करते हुए सुनवाई प्रारंभ करने के आदेश दिनांक 23.11.2015 को दिये गये।

09 आवेदक द्वारा उनसे वसूल की गई राशि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56(2) के अनुरूप नहीं होने के कारण वसूली योग्य नहीं है, के तर्क के निराकरण हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 56(2) का अवलोकन किया गया जो कि निम्नानुसार है–

''56(2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस धारा के अधीन किसी उपभोक्ता से शोध्य (due) (वसूली योग्य) कोई रकम उस तारीख से जब ऐसी रकम प्रथमतः (became first due) शोध्य हो गई है दो वर्ष की कालावधि के पश्चात वसूल किये जाने योग्य नहीं होगी जब तक ऐसी रकम सप्लाई की गई विद्युत के बकाया चार्जेज के रूप में वसूली योग्य निरंतर न दर्शाई गई हो, और लायसेन्सी विद्युत की सप्लाई विच्छेद नहीं करेगा/नहीं काटेगा।''

10 अनावेदक द्वारा आवेदक के उक्त कथन एवं विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56(2) के परिप्रेक्ष्य में अवगत कराया गया कि –

अ आवेदक के विद्युत कनेक्शन का वर्ष 2010–11 में उनके खाते का परीक्षण ए.जी. आडिट द्वारा जनवरी 2012 में किया गया। ए.जी. आडिट द्वारा यह पाया कि आवेदक को उन्हें बढ़ी हुई स्वीकृत संविदा मांग 8000 केवीए हेतु विद्युत उपलब्धता का नोटिस जारी करने के पश्चात जुलाई 2010 से अक्टूबर 2010 की अवधि की बिलिंग नहीं की गई। जिस हेतु उनके द्वारा रूपये 84.84 लाख की राशि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कम वसूल करना बताया गया।

ब अनावेदक द्वारा बताया गया कि ए.जी. आडिट का परीक्षण प्रतिवेदन उन्हें दिनांक 7.5.2012 को प्राप्त हुआ जिसके अध्ययन करने के पश्चात् आवेदक को दिनांक 4.7.2013 को प्रथम बार उक्त राशि का पूरक बिल जारी किया गया।

स अर्थात अनावेदक को प्रथम बार जनवरी 2012 में जानकारी में आने पर कि आवेदक के विरूद्ध जुलाई 2010 से अक्टूबर 2010 के बीच कम बिलिग की गई है, आवेदक को दिनांक 4.7.2013 को पूरक बिल जारी किया गया। अर्थात एक वर्ष दो माह की अवधि के पश्चात प्रथम बार पूरक बिल जारी किया गया।

11 विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56(2) के विरूद्ध अपीलीट ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली द्वारा अपील क्रमांक 202 एवं 203 वर्ष 2006 अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. विरूद्ध मेसर्स सिसोदिया मारवल एवं ग्रेनाईट्स प्रा.लि. में पारित आदेश के पैरा 17 में निम्नानुसार राय दी गई – (ओई–3)

"Thus, in our opinion, the liability to pay electricity charges is created on the date electricity is consumed or the date the meter reading is recorded or the date meter is found defective or the date theft of electricity is detected but the charges would become first due for payment only after a bill or demand notice for payment is sent by the licensee to the consumer. The date of the first bill/demand notice for payment, therefore, shall be the date when the amount shall become due and it is from that date the period of limitation of two years as provided in Section 56(2) of the Electricity Act, 2003 shall start running."

इस प्रकरण में अनुज्ञप्तिधारी/अनावेदक द्वारा जुलाई 2010 से अक्टूबर 2010 की अवधि के लिए छूटी बिलिंग की राशि की जानकारी प्रथम बार जनवरी, 2012 में आने के पश्चात 4 जुलाई 2013 को आवेदक को पूरक बिल जारी कर दिया गया जो कि समय–सीमा दो वर्ष की अवधि के अंदर है। अतः विद्युत लोकपाल उपरोक्त आदेश पर विश्वास कर यह पाता है कि उपरोक्त प्रकरण में आवेदक को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56(2) के अंतर्गत लाभ की पात्रता नहीं है।

**12 आवेदक के आवेदन में उठाये गये बिन्दु जिसमें कि अनावेदक द्वारा की गई रूपये 84.84 लाख की वसूली अवैधानिक एवं न्यायसंगत नहीं है पर तर्क एवं लिखित बहस प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार –**

अ आवेदक द्वारा उनके विद्यमान विद्युत कनेक्शन की संविदा मांग 5000 केवीए से बढ़ाकर 8000 केवीए करने हेतु आवेदन पत्र दिया गया था जिसकी स्वीकृति अनुज्ञप्तिधारी से प्राप्त होने पर उनके द्वारा पूरक अनुबंध दिनांक 21.1.2010 को निष्पादित किया था। (ओई–4)

ब अनुज्ञप्तिधारी के अधिकारी कार्यपालन अभियंता (संचा./संधा.) होशंगाबाद द्वारा आवेदक को दिनांक 8.3.2010 (ओई–5) को पत्र से अवगत कराया गया कि आपकी वर्तमान संविदा मांग 5000 केवीए से 8000 केवीए कराये जाने के प्रस्ताव के तहत यह आवश्यक हो जाएगा कि विद्यमान 33 केवी लाईन जो कि 25 वर्ष पुरानी है, के कण्डक्टर की क्षमता वृद्धि की जाए। अतः इस कार्य हेतु लगने वाली राशि को जमा करने की सहमति देने का अनुरोध किया गया था।

स आवेदक द्वारा सहमति देने पर आवश्यक प्राक्कलन (ओई–6) दिनांक 20.3.2010 को स्वीकृत किया गया जिसकी लागत 17,73,931/– है। आवेदक द्वारा अनावेदक के कार्यालय में उक्त राशि जमा करा दी गई। राशि जमा होने के पश्चात अनावेदक द्वारा उक्त कार्य करने हेतु कार्य आदेश उनके अंतर्गत आने वाले निर्माण संभाग को दिनांक 30.3.2010 को जारी किया ।

द इस संबंध में आवेदक द्वारा अवगत कराया गया कि चूंकि उपरोक्त भार स्वीकृति के पश्चात अनावेदक द्वारा यह पाया गया था कि विद्यमान विद्युत लाईन अतिरिक्त संविदा भार लेने की स्थिति में नहीं है इसलिए लाईन के कण्डक्टर की क्षमता बढ़ाना आवश्यक होगा, के अनुसार अनावेदक द्वारा प्राक्कलन स्वीकृत किया गया तथा आवेदक द्वारा प्राक्कलन की राशि जमा करा दी गई एवं विभाग द्वारा कार्यादेश जारी कर दिया गया। विद्युत प्रदाय संहिता 2004 की कंडिका 4.74 की तालिका के बिन्दु 2 (सी) के अनुसार उच्चदाब उपभोक्ता को विस्तार कार्य पूर्ण होने के पश्चात 90 दिन का विद्युत उपलब्धता नोटिस जारी किया जाना आवश्यक था। जबकि अनावेदक द्वारा पूरक अनुबंध निष्पादित होने के पश्चात आवेदक को 15 दिन का विद्युत उपलब्धता नोटिस दिनांक 8.6.2010 को जारी किया गया। (ओई–7)

च आवेदक ने अनावेदक द्वारा लाईन क्षमता बढ़ाने का कार्य पूर्ण न होने एवं आवेदक के नये पल्प मिल का स्थापना कार्य पूर्ण न होने के कारण अनुबंध प्रभावशील होने की तारीख 1.9.2010 करने का अनुरोध किया एवं पुनः कार्य पूर्ण ना होने पर अनुबंध प्रभावशील होने की तिथि दिनांक 1.11.2010 करने हेतु अनुरोध करते हुए दिनांक 8.6.2010 को विद्युत उपलब्धता के नोटिस को निरस्त करने का अनुरोध किया गया। (ओई–8 व ओई–9)

13 आवेदक द्वारा बताया गया कि ए.जी. आडिट पार्टी द्वारा वर्ष 2010–11 के उनके विद्युत कनेक्शन के लेखा का परीक्षण करते समय पाया गया कि जुलाई 2010 से अक्टूबर 2010 तक की अवधि में कम बिलिंग की गई। ए.जी आडिट पार्टी द्वारा प्रचलित टैरिफ के अनुसार बिलिंग नहीं करके कुल 3000 केवीए अतिरिक्त भार की बिलिंग अलग से की है, जबकि बिलिंग कुल संविदा भार 8000 केवीए के अनुरूप होना चाहिए थी। जिसके कारण ए.जी. आडिट पार्टी द्वारा न्यूनतम यूनिट प्रति केवीए/प्रतिमाह अधिक बिलिंग की गई, जबकि उक्त अवधि में न्यूनतम मासिक खपत से अधिक खपत की गई थी। इस प्रकार ए.जी. आडिट पार्टी द्वारा दोहरी बिलिंग की गई जिसे निरस्त करने हेतु बार–बार महाप्रबंधक, होशंगाबाद को अनुरोध किया गया।

14 आवेदक द्वारा बताया गया कि ए.जी. आडिट पार्टी द्वारा आवेदक के विद्युत कनेक्शन का वर्ष 2010–11 का लेखा परीक्षण किया गया जिसके अनुसार आवेदक के विद्युत कनेक्शन के विरूद्ध नई संविदा भार 8000 केवीए के लिए जुलाई 2010 से अक्टूबर 2010 तक कम बिलिंग की गई है जिसके कारण रूपये 84.84 लाख की राशि के राजस्व की हानि हुई इसका अनावेदक द्वारा दिनांक 4.7.2013 को उपरोक्त राशि 15 दिन के अंदर जमा करने का नोटिस आवेदक को जारी किया गया। आवेदक द्वारा कनेक्शन डिस्कनेक्ट होने की आशंका में उक्त राशि अण्डर प्रोटेस्ट दिनांक 11.1.2014 को जमा करा दी गई। (ओई–10 व ओई–11)

अनावेदक द्वारा दिनांक 5.2.2016 को तर्क एवं बहस के दौरान आवेदक द्वारा उठाए गए बिन्दु एवं लिखित बहस में दर्शित बिन्दुओं पर कोई तर्क नहीं प्रस्तुत किये और उनके द्वारा अवगत कराया गया कि उन्होंने दिनांक 18.12.2015 को आवेदक के अभ्यावेदन पर दिये गये प्रतिउत्तर में जो दिया है उसके अलावा उन्हें कुछ नहीं कहना। (ओई–12)

15 अनावेदक द्वारा दिनांक 18.12.2015 को दिये गये प्रतिउत्तर के अवलोकन करने पर पाया गया कि आवेदक की भार वृद्धि 5000 केवीए से 8000 केवीए विद्यमान 33 केवीए लाईन से प्रदान की गई थी तथा इसकी स्वीकृति में किसी प्रकार के उन्नयन अथवा नवीन निर्माण की आवश्यकता नहीं दर्शायी गयी थी। विद्यमान 33 केवीए लाईन स्वीकृत अतिरिक्त भार (3000 केवीए) प्रदान करने के लिए तकनीकि रूप से सक्षम पाई गई थी। (ओई–12)

16 अनावेदक द्वारा यह भी बताया गयाकि दिनांक 21.1.2010 को निष्पादित अनुबंध एवं विद्युत प्रदाय संहिता 2004 की कंडिका 4.74 की तालिका के बिन्दु 2(सी) के अनुसार कार्यपालन अभियंता, उपप्रबंधक (संचा./संधा0) होशंगाबाद द्वारा विद्युत उपलब्धता का 15 दिन का नोटिस दिनांक 8.6.2010 को जारी किया गया था जिसकी अवधि समाप्त होने के पश्चात दिनांक 1.7.2010 से बिलिंग की जानी थी जो कि त्रुटिवश नहीं की गई। इस त्रुटि को ए.जी. आडिट दल के संज्ञान में आने पर जुलाई 2010 से अक्टूबर 2010 की अवधि की बिलिंग राशि रूपये 84.84 लाख अधिरोपित की गई जिसे आवेदक द्वारा जमा की गई। आवेदक द्वारा यह भी बताया गया कि भविष्य की आवश्यकता एवं उनकी सुविधा के लिए विद्युत लाईन के उन्नयन का कार्य कराया गया जिसका कि स्वीकृत किये गये भार से कोई संबंध नहीं है। अनावेदक द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम में ए.जी आडिट पार्टी द्वारा त्रुटिवश की गई बिलिंग के मुद्दे पर महाप्रबंधक से निराकरण करने हेतु दिये गये निर्देश पर अभी तक उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।

17 आवेदक द्वारा दिनांक 28.1.2016 को तर्क के दौरान अवगत कराया गया कि ए.जी. आडिट पार्टी द्वारा माह जुलाई 2010 से अक्टूबर 2010 तक की अवधि में कम बिलिंग की आपत्ति लिये जाने पर अनावेदक द्वारा अवगत कराया गया कि विद्यमान लाईन की क्षमता स्वीकृत अतिरिक्त भार को वहन करने के लिए की जानी थी जिसका कि कार्य जुलाई 2010 में पूर्ण होने के पश्चात विद्युत उपलब्धता का नोटिस जारी किया गया था तथा इसके पश्चात ही आवेदक के विरूद्ध कुल संयोजित भार 8000 केवीए के अनुरूप बिलिंग प्रारंभ की गई। जबकि अनावेदक द्वारा ऊपर इस बात का उल्लेख किया गया कि स्वीकृत भार में कोई भी उन्नयन एवं नवीन निर्माण कार्य की स्वीकृति नहीं थी। अतः उपरोक्त दोनों कथनों की पुष्टि हेतु अनावेदक को निर्देशित दिए गए कि वे ए.जी. आडिट पार्टी द्वारा उन्हें दिये गये हाफ मार्जिन के जबाव में प्रतिउत्तर की प्रति एवं आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करे।

18 अनावेदक द्वारा उक्त निर्देश के तारतम्य में दिनांक 16.2.2016 को दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। (ओई–13) परन्तु ए.जी. आडिट द्वारा उठाये गये हाफ मार्जिन के प्रतिउत्तर में दिये गये जबाव को प्रस्तुत न कर गोलमोल जबाव प्रस्तुत किया गया। अतः पुनः अनावेदक को ''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग ( उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम 2009 की कंडिका 4.20 के अनुपालन में विद्युत लोकपाल अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन के प्रयोजन से अनुज्ञप्तिधारी अथवा अनुज्ञप्तिधारी के पदाधिकारियों, प्रतिनिधियों या अभिकर्ताओं से अभ्यावेदन पर निर्णय देने हेतु आवश्यक अभिलेख, पुस्तकें, जानकारी ऑकड़े एवं विवरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा और अनुज्ञप्तिधारी

विद्युत लोकपाल की अपेक्षा का यथायोग्य पालन करेगा,'' का उल्लेख करते हुए प्रकरण से संबंधित आडिट रिपोर्ट की संपूर्ण फाईल दिनांक 26.2.2016 तक सक्षम अधिकारी के साथ प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

19 अनावेदक द्वारा उपरोक्त निर्देश के अनुसार दिनांक 27.2.2016 को विभाग के लेखाधिकारी होशंगाबाद के साथ ए.जी. आडिट से संबंधित फाईल प्रस्तुत की गई जिसमें से प्रकरण से संबंधित (ओई–14) सहपत्र 7 सहित प्रस्तुत किये तथा दो अन्य दस्तावेज (ओई–15) फैक्स द्वारा भेजे गये।

**20 यहॉ पर यह स्पष्ट है कि उपरोक्त विवाद ए.जी. आडिट द्वारा निकाली गई रिकवरी एवं त्रुटिपूर्ण बिलिंग से उत्पन्न हुआ है। अतः इस संबंध में प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार निम्नलिखित तथ्य सामने आते हैं जिस पर विचार किया जाना आवश्यक है।**

अ प्रधान महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर के वाणिज्यिक लेखा परीक्षक दल (ओई–16) द्वारा कार्यपालन यंत्री (संचा./संधा.) होशंगाबाद कार्यालय का लेखा परीक्षण दिनांक 25.1.2011 से 6.2.2012 के मध्य किया गया। आडिट रिपोर्ट के पार्ट II–ए के पैरा नं.–1 में दिये गये विवरण के अनुसार लेखा परीक्षक दल द्वारा मेसर्स सिक्युरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद के विरूद्ध 1.25 करोड़ रूपये कम बिलिंग किये जाने पर आपत्ति ली गई थी। जिसका मुख्य आधार आवेदक द्वारा निष्पादित अनुबंध दिनांक 21.1.2010 के अनुसार महाप्रबंधक द्वारा कार्यपालन यंत्री, होशंगाबाद को फरवरी 2010 में 15 दिन का नोटिस जारी करने हेतु निर्देशित किया गया। कार्यपालन यंत्री, होशंगाबाद द्वारा यह नोटिस जून 2010 में जारी किया एवं आवेदक के विरूद्ध स्वीकृत संविदा भार के अनुसार नवंबर 2010 से बिलिंग प्रारंभ की गई। जबकि बिलिंग नोटिस समाप्त होने के पश्चात् ही प्रारंभ कर देनी चाहिए थी, परन्तु आडिट दर द्वारा मई 2010 से अक्टूबर 2010 की अवधि की बिलिंग रूपये 1,24,95,000/– के लिए की गई जिसके प्रतिउत्तर में कार्यपालन यंत्री द्वारा अवगत कराया गया कि चूंकि उच्च दाब उपभोक्ता की बिलिंग क्षेत्रीय लेखाधिकारी द्वारा की जाती है इसलिए इस संबंध में बिलिंग देर से प्रारंभ क्यों की गई इस संबंध में क्षेत्रीय लेखाधिकारी से उत्तर प्राप्त कर आडिट दल को जबाव दिया जावेगा। ( ओई–16)

ब उप महालेखाकार (ईएसटी) कार्यालय महालेखाकर द्वारा दिनांक 19.12.2012 को प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को उक्त पैरा के संबंध में आवश्यक जानकारी तीन सप्ताह के अंदर भेजने की व्यवस्था करने का अनुरोध किया। (ओई–17) जिसके अनुसार आवेदक के विरूद्ध कम बिलिंग करने पर रूपये 49.50 लाख की नुकसानी होने बाबत बताया गया किया जिसमें उनके द्वारा यह उल्लेख किया गया कि अनुबंध निष्पादित होने के बाद माह फरवरी 2010 में ही बिलिंग प्रारंभ कर देनी चाहिए थी जिसका नोटिस पूर्व में जारी किया जाना चाहिए था। विद्युत प्रदाय संहिता 2004 के अनुसार विस्तार कार्य शामिल होने पर उच्चदाब उपभोक्ता को 90 दिन का विद्युत उपलब्धता का नोटिस जारी किया जाना चाहिए था जिसके अनुसार मई 2010 में बड़ी हुई संविदा भार के साथ बिलिंग प्रारंभ कर देनी चाहिए थी। बिलिंग प्रारंभ ना करने से रूपये 49.50 लाख का नुकसान हुआ इसके अलावा उन्हें निम्न 4 बिन्दुओं पर भी जबाव देने हेतु कहा गया। (ओई–7)

1 The copy of sanctioned estimate for extension work if any involved in effecting sirvice connection.

2 Whether the extension work was carried out by the company or by the consumer. The date of completion of such extension work. Acopy of closed work order by the sub transmission wing of the copmany.

3 The date of fixing new meter for the enhanced load. The copy of test certificate issued by the meter relay testing center.

4 The consumer originally requested for additional demand of 5000KVA against which the company accorded sanction for 3000 KVA anly. The reason for restriction of demand to 3000 KVA may be stated.

21 उप महालेखाकार को अवगत कराने हेतु निम्न जानकारी दिनांक 28.12.2012 (ओई–18) को कार्यपालन यंत्री होशंगाबाद द्वारा महाप्रबंधक, होशंगाबाद को प्रेषित की गई।

1 M/s G.M. Security Paper Mill, Hoshangabad has applied by his letter No. 14(35)/2125 dated 06/06/09 for enhancement of load from 5,000KVA to 10,000 KVA contract demand on 33 KV supply voltage.

2 As per the supply code 2004, Chapter 3, Condition 3.4 it has been suggested to him for availing 8,000 KVA contract demand in place of 10,000 KVA contract demand on 33 KV supply.

3 On replying for the same they have agreed and made fresh application for enhancement of load from 5,000 KVA to 8,000 KVA vide his letter no. 14(35)/3376 dated 17/07/09 and 14(35)Vol-2/393 dated 20/7/09.

4 The load enhancement case of 33 KV HT consumer to M/s Security Paper Mill, Hoshangabad was sanctioned by the C.E. (BR) Bhopal vide letter no. CE.BR/05/HT/O&M/123C/748889 dated 08/10/09 and after competition of formalities the agreement for the same finalized dated 21/01/10.

5 The 15 days' supply availability notice was issued by this office letter no. E.E./O&M/Rev/HT/1029 dated 08/06/10 for contract demand 8000KVA.

6 Simultaneously they gave also applied for repair and augmentation of conductor of 33KV existing independent/dedicated S.P.M. feeder to share new load.

7 As per the requirement the estimate has been prepared and got sanctioned by letter no 76-000-4547-09-0488 dated 20/03/10 of amount Rs. 17,73,931 under fall deposits scheme.

8 The cost of above estimate Rs. 17.73 lakh deposited by M/S SPM Hoshangabad vide MR No. 1092/221 dated 31/03/10 and CRA No. 234/17 dated 31/03/10. The work order No 0728/31-03-10 was issued to EE (STC) MPMKVVCL, Hoshangabad for carried out the above work.

9 The work was completed by the EE (STC) on dated 12/07/10 (copy of estimate and work completion report is enclosed).

10 In reply of notice C.E. Security Paper Mill, Hoshangabad has informed that the work of repair and augmentation of conductor of 33KV line in not completed so far. Therfore probable date 01/09/10 for availing supply for additional load i.e. 8000 KVA may be considered. In view of above DGM, Hoshangabad has moved a proposal vide letter No. 1355 dated 18/06/10 for considering the date. In view of the above G.M. (O&M), Hoshangabad written a letter to Account Officer, Hoshngabad for billing of 8000 KVA as per new fresh agreement from 01/11/10. The copy of above letter is being enclosed.

11 The estimate for replacement/ providing of M.E. to the G.M. SPM was prepared and sanctioned vide no.78-92-4547-2010-0353 dated 24/09/10 and work order no. 3394 dated 01/10/10.

12 The above 33 KV CT/PT 400/200/5 amp unit drawn from area store on dated 26/10/10 vide gate pass no. 265/34.

22 उपमहालेखाकार (ईएसटी) कार्यालय महालेखाकार द्वारा पुनः सचिव, ऊर्जा विभाग मध्यप्रदेश शासन को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में वर्ष 2012–13 के लिए प्रतिवेदन में शामिल करने हेतु लॉस ऑफ रेवेन्यु विषय पर एक प्रारूप कंडिका भेजी जिसमें उपलब्ध तथ्यों का सत्यापन कर शासन की टिप्पणी उन्हें भेजने हेतु अनुरोध किया। (ओई–19)

23 उक्त पत्र के साथ संलग्न ड्राफ्ट पैराग्राफ में आवेदक के विरूद्ध बढ़ी हुई संविदा मांग 8000 केवीए की बिलिंग न करने के कारण रूपये 84.84 लाख की राजस्व हानि होना बताते हुए 1 जुलाई, 2010 से अक्टूबर, 2010 की अवधि के लिए पूरक बिलिंग की गई। इस कंडिका में आडिट पार्टी द्वारा इस बात का उल्लेख किया गया कि यद्यपि आवेदक को जून 2010 को विद्युत उपलब्धता का नोटिस जारी किया गया था परन्तु आवेदक के अनुरोध पर कि कार्य पूर्ण न होने के कारण बिलिंग 1.9.2010 से शुरू की जाए एवं दिनांक 21.9.2010 को पुनः अनुरोध किया गया कि बिलिंग 1.11.2010 से प्रारंभ की जाए जिसके अनुसार महाप्रबंधक/अनावेदक द्वारा दिनांक 1.11.2010 से बिलिंग प्रारंभ की गई। जबकि उपभोक्ता को अनुबंध निष्पादित होने के पश्चात फरवरी 2010 में ही विद्युत उपलब्धता का नोटिस जारी कर मई 2010 से बिलिंग प्रारंभ कर देनी चाहिए थी जिसके न करने से अनुज्ञप्तिधारी को 84.84 लाख के राजस्व का नुकसान हुआ।

24 पैरा में लेखा दल द्वारा इस बात का भी उल्लेख किया गया कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उन्हें बताया गया था कि बड़ी हुई संविदा भार के लिए विद्यमान में लाईन के कण्डक्टर की क्षमता बढ़ाना था जिसका कि कार्य जुलाई, 2010 में पूरा हुआ था तदनुसार बिलिंग नवंबर 2010 में प्रारंभ की गई।

25 इसी कंडिका में लेखा दल द्वारा इसका भी उल्लेख किया गया कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत लाईन के कण्डक्टर की क्षमता बढ़ाने के लिए आवेदक से कोई भी राशि नहीं जमा कराई और न ही उनके द्वारा कोई क्षमता वृद्धि बढ़ाने का कार्य किया गया । परन्तु यह कार्य कंपनी द्वारा मार्च 2010 में स्वीकार किया गया। जबकि लाईन की क्षमता बढ़ाने की जबावदारी आवेदक की थी। इसलिए अनुज्ञप्तिधारी को बिलिंग देर से प्रारंभ नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि विलंब उपभोक्ता के कारण हुआ है।

26 महाप्रबंधक होशंगाबाद द्वारा लेखा परीक्षण के पैरा पार्ट–2ए का उत्तर प्रस्तुत किया (ओई–20) के अनुसार, विद्युत लाईन क्षमता बढ़ाने का कार्य 12.7.2010 को पूर्ण होने पर आवेदक को 90 दिन का विद्युत उपलब्धता के नोटिस अनुसार अवधि समाप्त होने पर उनके द्वारा 1.11.2010 से (ओई–21) क्षेत्रीय लेखाधिकारी होशंगाबाद को बढ़ी हुई संविदा भार के अनुसार बिलिंग जारी करने के निर्देश दिये गये।

27 महालेखाकार द्वारा महाप्रबंधक (संचा./संधा.) संभाग होशंगाबाद के उत्तर को संज्ञान में नहीं लेते हुए दिनांक 31.3.2013 को समाप्त वित्तीय वर्ष के प्रतिवेदन में कंडिका को शामिल कर लिया गया तथा इसके ऊपर आवश्यक टिप्पणी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा दिये जाने हेतु अनुरोध किया गया। मुख्य महाप्रबंधक द्वारा इस संबंध में आवश्यक रिपोर्ट महाप्रबंधक, होशंगाबाद से चाही गई । जिसमें पूर्व में दिये गये उत्तर के अलावा अनावेदक द्वारा बिन्दु क्रमांक 6 पर इस बात का उल्लेख किया गया है कि ए.जी. आडिट पार्टी द्वारा पूर्व में 1.25

करोड़ रूपये की राजस्व हानि होना बताया जो कि बाद में 49.50 लाख कर दी गई तथा अंत में रूपये 84.84 लाख का नुकसान होना बताया गया तथा अनावेदक द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया कि ए.जी. आडिट पार्टी द्वारा पूरक बिलिंग करने में निम्नानुसार त्रुटि की गई।

(A) Fixed charge billed to HT consumer on 90% fo CD.

(B) Recorded Consumption is higher than minimum hence actual energy charges all ready recoverd from consumers.

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर ए.जी. द्वारा ली गई आपत्ति को निरस्त करने की अनुशंसा की। (ओई–22)

28 आवेदक के कथन कि उनको ए.जी. आडिट द्वारा की गई बिलिंग प्रचलित टैरिफ अनुसार नहीं है, के संबंध में वर्ष 2010–11 के लिए मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ जिसके अनुसार आवेदक को तालिका एचवी–3.1 के अनुसार बिलिंग की जा रही थी का अवलोकन किया गया। इसके अनुसार आवेदक को 100 यूनिट/माह/केवीए के अनुसार न्यूनतम खपत की जाना अनिवार्य था तथा वास्तविक बिलिंग डिमांड प्रत्येक माह स्वीकृत संविदा मांग का 90 प्रतिशत होना आवश्यक है।

29 इस प्रकरण में आवेदक द्वारा अपनी विद्यमान संविदा मांग 5000 केवीए से 8000 केवीए करवाई गई थी। अर्थात उनके द्वारा विद्यमान कनेक्शन का ही संविदा भार बढ़वाया गया था तथा उसके अनुरूप पूरक अनुबंध महाप्रबंधक/अनावेदक से किया था। इस प्रकार उपभोक्ता की संविदा मांग 8000 केवीए हो गई थी तथा प्रचालित टैरिफ के अनुार उन्हें प्रत्येक माह 7200 केवीए के अनुसार न्यूनतम डिमाण्ड बिल की जानी थी तथा 8,00,000 यूनिट प्रतिमाह विद्युत खपत की जाना थी। जबकि ए.जी. आडिट द्वारा अतिरिक्त मांग 3000 केवीए की अलग से बिलिंग प्रपोज की गई जिसके कारण आवेदक को दोहरी यूनिट खपत का बिल दिया गया जो कि प्रचलित टैरिफ के एवं उसमें उल्लेखित जनरल टर्म्स एण्ड कंडीशन के विपरीत है।

30 आवेदक द्वारा ए.जी. आडिट द्वारा त्रुटिपूर्ण की गई बिलिंग को सुधारने हेतु बार–बार अनावेदक से पत्राचार किया। परन्तु महाप्रबंधक होशंगाबाद द्वारा उनके आवेदक पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। (ओई–2)

***आवेदक एवं अनावेदक द्वारा दिये गये तर्कों एवं नस्ती में उपलब्ध दस्तावेजों की विवेचना करने पर निम्नलिखित तथ्य सामने आते हैं –***

31 आवेदक की विद्यमान संविदा मांग 5000 से बढ़ाकर 8000 केवीए किये जाने के आवेदन की स्वीकृति में यद्यपि किसी भी तरह का लाईन के उन्नयन अथवा निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं था। परन्तु कार्यपालन यंत्री, होशंगाबाद द्वारा आवेदक को दिनांक 8.3.2010 (ओई–5) को पत्र से अवगत कराया गया कि बढ़ी हुई संविदा मांग के लिए विद्युत प्रदाय उपलब्ध कराने से पूर्व यह आवश्यक हो जाएगा कि विद्यमान 33 केवी लाईन जो कि 25 वर्ष पुरानी है के कण्डक्टर की क्षमता की वृद्धि की जाना आवश्यक है तथा इसमें होने वाले व्यय आवेदक को जमा कराना पड़ेगा, इसकी सहमति चाहिए। अर्थात पूर्व में स्वीकृत 8000 केवीए की संविदा मांग की पूर्ति हेतु विद्यमान लाईन के कण्डक्टर की क्षमता में वृद्धि करना आवश्यक था तथा लाईन के उन्नयन करने का कार्य आवश्यक हो गया था। उक्त स्वीकृति में विस्तार कार्य अलग से स्वीकृत किया जाना पाया गया। आवेदक द्वारा अनावेदक/अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्वीकृत प्राक्कलन की राशि

रूपये 17,73,931/– जमा करने के पश्चात कार्य कराने का आदेश अनावेदक/अनुज्ञप्तिधारी के अधीन आने वाले निर्माण संभाग को दिनांक 30.3.2010 को कार्यादेश दिया गया (ओई–6)। चूंकि उक्त कार्य अनावेदक के अधीनस्थ निर्माण संभाग द्वारा किया गया था अतः ए.जी. आडिट की यह आपत्ति ली जाना कि लाईन की क्षमता बढ़ाने की जबावदारी आवेदक की थी इसलिए बिलिंग देर से प्रारंभ नहीं की जानी चाहिए थी। क्योंकि बिलंव उपभोक्ता के कारण हुआ है सर्वथा गलत है।

32 विद्युत प्रदाय संहिता 2004 की कंडिका 4.74 की तालिका 2(स) में दर्शाये अनुसार विस्तार कार्य पूर्ण होने के पश्चात विद्युत प्रारंभ करने के लिए 90 दिन की सूचना देने का प्रावधान है। निर्माण संभाग द्वारा लाईन उन्नयन का कार्य दिनांक 12.7.2010 को पूर्ण होने की सूचना महाप्रबंधक होशंगाबाद को दी गई। (ओई–23) आवेदक/महाप्रबंधक होशंगाबाद द्वारा उक्त कार्य पूर्ण होने पर आवेदक के पत्र क्रमांक 3902 दिनांक 21.9.2010 (ओई–9) के संदर्भ में लेखाधिकारी, होशंगाबाद को बड़ी हुई संविदा मांग को दिनांक 1.11.2010 से लागू करते हुए देयक जारी करने हेतु निर्देशित किया गया।(ओई–21)

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि अनावेदक/अनुज्ञप्तिधारी के अधिकारियों द्वारा यह माना गया कि आवेदक की स्वीकृत संविदा मांग के तहत उन्नयन का कार्य अलग से स्वीकृत किया जाकर कार्य विभागीय तौर पर किया गया । अनावेदक द्वारा आवेदक के आवेदन जिसमें उनके द्वारा कार्य पूर्ण होने के कारण सबसे पहले विद्युत प्रदाय 1.9.2010 से करने एवं पुनः कार्य पूर्ण होने पर 1.11.2010 से करने के अनुरोध को स्वीकार करते कार्य पूर्ण होने के पश्चात उन्हें 90 दिन का विद्युत उपलब्धता पूर्ण होने की अवधि के पश्चात दिनांक 1.11.2010 से स्वीकृत संविदा भार 8000 केवीए के अनुसार बिलिंग प्रारंभ की गई। अनावेदक द्वारा इसकी पुष्टि ए.जी. आडिट पार्टी द्वारा ली गई आपत्ति के उत्तर में भी की है। (ओई–18)

33 महालेखाकार के परीक्षक दल द्वारा आवेदक के विद्युत कनेक्शन के लेखा परीक्षण करने पर अनुबंध निष्पादन होने की तारीख से बिलिंग नहीं करने पर क्रमशः 1.25 करोड़, 49.50 लाख एवं अंत में रूपये 84.84 लाख की राजस्व हानि होना बताया जिसका परीक्षण करने पर पाया कि–

अ प्रथम बार ए.जी. आडिट पार्टी द्वारा अनुबंध निष्पादित होने की तारीख दिनांक 21.11.2010 से मई 2010 से बढ़ी हुई संविदा मांग पर बिलिंग प्रारंभ ना करने के कारण रू. 1.25 करोड़ की राजस्व हानि होना बताया गया। बाद में इस राशि को उप महालेखाकार द्वारा अपने दिनांक 19.12.2012 के पत्र (ओई–17) से 49.50 लाख रूपये की हानि होना बताया जिसका आधार भी यह लिया गया कि इस प्रकरण में विद्युत उपलब्धता का नोटिस फरवरी 2010 में ही जारी किया जाकर मई 2010 से बिलिंग प्रारंभ कर देना चाहिए थी। अतः बिलंव से विद्युत उपलब्धता का नोटिस देने पर 49.50 लाख रूपये की राजस्व हानि हुई।

ब दूसरी बार आडिट पार्टी द्वारा कार्यपालन यंत्री होशंगाबाद द्वारा जारी 15 दिन का विद्युत उपलब्धता का नोटिस 8 जून 2010 (ओई–7) को संज्ञान में लेते हुए 1 जुलाई 2010 से अक्टूबर 2010 तक बढ़ी हुई संविदा मांग के अनुसार बिलिंग नहीं करने पर 84.84 लाख की रिकवरी अंतिम रूप से निकाली गई। जबकि विद्युत प्रदाय संहिता 2004 में दिये गये प्रावधान अनुसार यदि यह मान भी लिया जाए कि आवेदक की संविदा मांग बढ़ाने की स्वीकृति में लाईन का विस्तार अथवा उन्नयन का कार्य शामिल नहीं था तब इस स्थिति में अनुबंध निष्पदित होने की तारीख से 30 दिन का विद्युत उपलब्धता का नोटिस जारी कर मार्च 2010 से ही बिलिंग प्रारंभ कर देना चाहिए थी। परन्तु आडिट पार्टी द्वारा 90 दिन के विद्युत उपलब्धता के नोटिस की

अवधि समाप्त होने (जैसे कि विस्तार कार्य होने पर नोटिस दिया जाता है) (अर्थात फरवरी, मार्च व अप्रैल, 2010) के पश्चात् 1 मई 2010 से कम बिलिंग किये जाने पर 1.25 करोड़ रूपये की राजस्व हानि होना बताया ।

स इस प्रकार आडिट पार्टी द्वारा बिना सुनिश्चित किये कि नई संविदा भार की स्वीकृति में एक्सटेंशन वर्क शामिल था अथवा नहीं राजस्व में हानि होना बताया एवं उनके द्वारा महाप्रबंधक होशंगाबाद द्वारा दिये गये जबाव में जिसमें स्पष्ट रूप से यह अवगत कराया गया था कि नई संविदा भार हेतु विद्युत प्रदाय करने से पूर्व विद्यमान 33 केवी लाईन के कण्डक्टर की क्षमता में वृद्धि करना आवश्यक था तथा यह कार्य जुलाई 2010 में पूर्ण होने के पश्चात 90 दिन के विद्युत उपलब्धता के नोटिस की अवधि समाप्त होने के पश्चात उनके द्वारा दिनांक 1.11.2010 से बिलिंग प्रारंभ करने के निर्देश दिये गये, को संज्ञान में नहीं लिया गया इससे स्पष्ट है कि आडिट पार्टी द्वारा केवल अधिक से अधिक राशि का राजस्व हानि होना बताने के प्रयास में 84.84 लाख रूपये की राजस्व हानि होना बताया तथा इस राशि की गणना भी उनके द्वारा प्रचलित टैरिफ एवं उसकी सामान्य शर्तों के अनुसार बिलिंग नहीं की गई। जबकि आडिट पार्टी को महाप्रबंधक, होशंगाबाद द्वारा (ओई–20) उक्त स्वीकृत संविदा भार हेतु विद्यमान लाईन के कण्डक्टर की क्षमता बढ़ाने का प्राक्कलन स्वीकृत करने, आवेदक द्वारा प्राक्कलन की लागत जमा करना, उनके द्वारा अधीनस्थ निर्माण संभाग को कार्यादेश जारी करने एवं निर्माण संभाग द्वारा कार्य पूर्ण कर कार्य पूर्ण होने की तिथि से अवगत कराने एवं क्षेत्रीय लेखाधिकारी को बिलिंग प्रारंभ करने के निर्देश देने की जानकारी देने के उपरांत भी आडिट पार्टी द्वारा उनके कथन को स्वीकार न करते हुए अपनी मनमानी तरीके से राजस्व हानि होना बताया जो कि उनकी हठधर्मिता एवं अधिक से अधिक राजस्व हानि दर्शा कर अपने कर्त्तव्य की इतिश्री की है। जबकि महाप्रबंधक, होशंगाबाद द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2004 की कंडिका 4.74 में दर्शायी गई तालिका के बिन्दु 2(स) के अनुसार निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात ही बिलिंग करने के निर्देश दिये थे जो कि नियमानुसार है।

34 ए.जी. आडिट पार्टी द्वारा जुलाई 2010 से अक्टूबर 2010 के बीच में की गई बिलिंग त्रुटिपूर्ण है जिसका परीक्षण करने पर यह पाया गया कि आडिट द्वारा स्वीकृत अतिरिक्त भार 3000 केवीए की अलग से बिलिंग की गई जबकि जुलाई 2010 से कुल संविदा मांग 8000 केवीए के अनुसार बिलिंग की जाना चाहिए थी। प्रचलित टैरिफ के अनुसार कुल संविदा मांग का 90 प्रतिशत के अनुरूप फिक्स चार्जेस लिये जाने थे तथा 8000 केवीए के अनुरूप विद्युत खपत 100 यूनिट/केवीए/प्रतिमाह की दर से न्यूनतम बिलिंग 8 लाख यूनिट प्रति माह बिलिंग की जाना थी। जबकि आवेदक द्वारा इस अवधि में प्रत्येक माह 8 लाख यूनिट से अधिक यूनिट खपत की गई है एवं इस खपत का बिल उनके द्वारा पूर्व में ही जमा कर दिया गया था (ओई–24)। परन्तु ए.जी. आडिट द्वारा टैरिफ को ध्यान में न रखते हुए 3000 केवीए अतिरिक्त भार के लिए अलग से बिलिंग करके 84.84 लाख के राजस्व हानि का नुकसान होना बताया जो कि त्रुटिपूर्ण है। इसकी पुष्टि महाप्रबंधक, होशंगाबाद द्वारा अपने उत्तर में की थी (ओई–22)। जबकि अनावेदक द्वारा अपने उत्तर में यह स्पष्ट रूप से लेखा दल को बताया गया कि विद्युत लाईन के उन्नयन का कार्य 12.7.2010 को पूर्ण होने के पश्चात 90 दिन का विद्युत उपलब्धता का नोटिस अवधि मानकर उसकी समाप्ति के पश्चात 1 नवंबर 2010 से बिलिंग की जाना थी एवं जिसके अनुसार बिलिंग प्रारंभ की गई । अतः किसी भी तरह की कोई राजस्व हानि नहीं होना पाया गया ।

35 आवेदक द्वारा विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम में आवेदन देने पर कि ए.जी. आडिट दल द्वारा जुलाई से अक्टूबर 2010 की अवधि में की गई बिलिंग त्रुटिपूर्ण है पर निर्णय न लेते हुए फोरम द्वारा आवेदक को महाप्रबंधक, होशंगाबाद के पास जाकर अपने प्रकरण के निराकरण हेतु निर्देश दिये। जबकि फोरम को इसे संज्ञान में लेते हुए महाप्रबंधक होशंगाबाद से आवश्यक दस्तावेज एवं बिलिंग स्टेटमेंट लेकर स्वयं समीक्षा कर निर्णय लेना था। महाप्रबंधक होशंगाबाद द्वारा भी फोरम के उपरोक्त निर्णय के निर्देशानुसार तथा आवेदक के अनुरोध पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। यदि महाप्रबंधक द्वारा भी आडिट पार्टी द्वारा की गई बिलिंग की समीक्षा प्रचलित टैरिफ एवं उसमें दी गई सामान्य निबंधन की शर्तों के अनुसार की गई होती तो उक्त त्रुटि पकड़ में आ सकती थी। परन्तु महाप्रबंधक द्वारा ऐसा नहीं किया जाना उनका यह कृत्य सेवा में कमी (dificiency in service) की श्रेणी में आता है, अनावेदक द्वारा अपने कर्त्तव्य निभाने में गंभीर भूल की ।

36 यह दुर्भाग्य पूर्ण एवं विस्मृत करने वाला है कि अनावेदक जो अपने क्षेत्र के उच्चदाब उपभोक्ता की बिलिंग हेतु उत्तरदायी हैं, आडिट पार्टी को समझा (convince) नहीं सके कि यद्यपि आवेदक के अतिरिक्त संविदा भार की स्वीकृति में विद्यमान लाईन के उन्नयन अथवा निर्माण कार्य शामिल नहीं था, परन्तु बाद में यह पाये जाने पर कि उक्त लाईन स्वीकृत संविदा भार 8000 केवीए के लिए विद्युत प्रदाय करने के लिए सक्षम नहीं है, लाईन के कण्डक्टर की क्षमता बढ़ाना आवश्यक है जिसका प्राक्कलन स्वीकृत किया गया जिसका खर्चा आवेदक द्वारा वाहन किया गया एवं उक्त कार्य विभागीय तौर पर करवाया गया जो दिनाक 12.7.2010 को पूर्ण हुआ। जिसके पश्चात उनके द्वारा 90 दिन का विद्युत उपलब्धता नोटिस की अवधि मानकर विद्युत प्रदाय संहिता 2004 के प्रावधान अनुसार लेखाधिकारी, होशंगाबाद को 1.11.2010 से बढ़ी हुई संविदा मांग के अनुरूप बिलिंग करने हेतु निर्देशित किया। अतः आडिट पार्टी द्वारा जुलाई 2010 से अक्टूबर 2010 तक की गई बिलिंग न्यायसंगत एवं औचित्यहीन है इसके अलावा ए.जी. आडिट पार्टी द्वारा इस अवधि में जो बिलिंग की गई वह भी प्रचलित टैरिफ के प्रावधान एवं सामान्य शर्तों के अनुरूप न होकर की गई है जो त्रुटिपूर्ण है । अनावेदक द्वारा स्वयं ए.जी. आडिट पार्टी द्वारा ली गई आपत्ति एवं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जानकारी लिये जाने पर अपने उत्तर में उपरोक्तानुसार अवगत कराया गया तथा ए.जी. द्वारा ली गइ आपत्ति को निरस्त करने का अनुरोध किया, फिर भी अनावेदक द्वारा ए.जी. आडिट पार्टी द्वारा निकाली गई रिकवरी को स्वीकार करते हुए अनावश्यक रूप से आवेदक से रूपये 84.84 लाख की वसूली कर प्रताड़ित किया एवं आवेदक द्वारा बार–बार बिल को सुधारने हेतु अनुरोध करने पर भी उनकी समस्या के प्रति उदासीन एवं भावशून्य बने रहे।

37 आवेदक द्वारा प्रस्तुत संविदा मांग बढ़ाने के आवेदन पत्र पर यह देखना कि बढ़ी हुई संविदा मांग हेतु विद्युत प्रदाय करने के लिए विद्यमान लाईन की तकनीकि साध्यता है अथवा नहीं तथा क्या कार्य प्रस्तावित किया जाना आवश्यक होगा, अनुज्ञप्तिधारी का उत्तरदायित्व होता है। परन्तु इस प्रकरण में किसी तरह के विद्युत लाईन के उन्नयन अथवा निर्माण कार्य प्रस्तावित नहीं किया गया। प्रकरण में स्वीकृति मिलने के पश्चात यह पाया गया कि बढ़ी हुई संविदा मांग हेतु विद्युत प्रदाय के लिए विद्यमान लाईन के कण्डक्टर की क्षमता एवं उसके सुद्ड़ीकरण किया जाना आवश्यक होगा। अतः अलग से प्राक्कलन स्वीकृत किया गया जिसमें इस बात का उल्लेख था कि विद्यमान लाईन के तार क्षतिग्रस्त हो चुके हैं जिनको बदलना अथवा उन्नयन करना आवश्यक होगा। अतः यह कहना कि संविदा भार की वृद्धि की स्वीकृति में किसी तरह के लाईन निर्माण कार्य एवं उन्नयन कार्य शामिल नहीं था, अनुबंध निष्पादित होने की तिथि के

पश्चात 30 दिन का विद्युत उपलब्धता का नोटिस देकर बिलिंग प्रारंभ किया जाना था, सर्वथा औचित्यहीन है, जो कि निरस्त करने योग्य है।

**अतः उपरोक्त तर्कों एवं विवेचन के आधार पर यह आदेशित किया जाता है कि–**

(i) आवेदक के विरूद्ध 01 जुलाई 2010 से अक्टूबर 2010 की अवधि में बढ़ी हुई संविदा मांग के विरूद्ध की गई पूरक बिलिंग विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 एवं टैरिफ के प्रावधानों के विपरीत होकर त्रुटिपूर्ण है, अतः निरस्त करने योग्य है। तदनुसार आवेदक द्वारा जमा की गई राशि विद्युत देयकों में समायोजित करने योग्य है।

38 फोरम को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में प्रकरण का निराकरण गुणदोष के आधार पर अपने स्तर से करें ना कि प्रकरण को पुनः अनुज्ञप्तिधारी को उनके स्तर पर निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित किया जाए।

39 आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

**विद्युत लोकपाल**

**प्रतिलिपि :**

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

**विद्युत लोकपाल**